



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 05/16

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर, राज.)

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै० भाईजी फूड प्रोडक्ट्स, प्रो० योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा, 2 ई छोटी सत्यम नगर, श्री गंगानगर।

अभियुक्त



अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय

दिनांक : 03.08.2016

सक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं। श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11.2015 को 03:30 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मै० भाईजी फूड प्रोडक्ट्स, प्रो० योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा, 2 ई छोटी सत्यम नगर, श्री गंगानगर पहुंचे वहां श्री योगेश शर्मा मावा का विक्रय कर रहा था, मावा मिठाई बनाने हेतु मावा एक टिन में 15 किलोग्राम के आसपास रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या के-630 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा मावा की कीमत अखरे रूपये 280/- श्री राजेश पुत्र श्यामलाल एवं राकेश सचदेवा गवाह सामने देकर रसीद प्राप्त की। भाई जी फूड प्रोडक्ट्स को फार्म नं० 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री योगेश शर्मा ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं० 5 की एक प्रति श्रीभाई जी फूड प्रोडक्ट्स को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद मावा को चार साफ सूखी व खाली शीशियों में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक शीशी में 40-40 बूदें फार्मलीन की डाल कर डाट लगाया और लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं० के-630 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वयं ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के-630 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बंध कर चार-चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर योगेश शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह राजेश पुत्र श्यामलाल एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं० 6 की सात प्रतियाँ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जांच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

LSW

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)



खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं० के-630 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जाँच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के-630 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं० 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/3690/एक्ट/2015/2093 दिनांक 14.12.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-630 मावा सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 5336 दिनांक 25-4-16 की पालना में अभियुक्त के विरुद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त योगेश शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ। जवाब पेश किया। बहस सुनी गई।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त योगेश शर्मा से लिया गया मावा का सैम्पल के-630 जाच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3690/एक्ट /2015/2093 दिनांक 14.12.2015 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना दिनांक 9-11-15 को 3:30 पी.एम. पर लेना बताया है जबकि फर्द रिपोर्ट में 6:10 पी०एम० लिखा गया है। परिवाद में मावा 15 किलो के आसपास होना लिखा है जबकि फार्म नं० 5 ए में 30 किलो मीठा मावा एक स्टील टैंक में रखा होना बताया है। परिवाद में खरीद शुदा मीठा मावा की कीमत 280-00 रुपये रूबरू गवाहान भुगतान किया गया बताया है जबकि अपनी हस्तलिखित रसीद में 400-00 रू० नकद भुगतान करना बताया है। फार्म सं० 5 ए पर श्री योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल ने हस्ताक्षर किये हैं जबकि संलग्न फार्म सं० 5 ए में किसी दीपक नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। फर्द रिपोर्ट मौका पर निरीक्षण का समय, निरीक्षण के दौरान, फर्म व फर्म का मालिक/भागीदार/नौकर इत्यादि में किसी के भी नाम व पत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट झूठी तैयार की गई है। फर्द रिपोर्ट पर योगेश शर्मा के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है। गवाहान के नाम व पता भी फर्द रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। परिवाद के साथ फार्म नं० 6 के द्वितीय व तृतीय भाग की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो रसीद लगी है, वह पार्ट 4 की है, जिसपर नमूना संख्या दर्ज नहीं है। पार्ट 4 की दो प्रतियाँ परिवाद के साथ संलग्न की गई हैं। एक ही सैम्पल के पार्ट -4 की दो रसीदें जारी की गई हैं, जिनपर दोनों अलग-2 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। परिवाद में मावा की जाँच रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जबकि फर्द रिपोर्ट व फार्म नं० 5 ए तथा विक्रय मीमो आदि में मीठा मावा के नमूना का उल्लेख है। एफ एस एस ए आई में मीठा मावा का स्टैण्डर्ड मावा से भिन्न है। सुरक्षा अधिकारी को आवेदन करने हेतु प्राधिकृत करने का पत्र डा० नरेश बंसल द्वारा लिखा गया है जबकि दिनांक 25-4-16 को अभिहित अधिकारी के पद पर डा० असीजा पदस्थापित थे। अभिहित अधिकारी का पत्र क्रमांक 2067-68 दिनांक 4-12-15 के माध्यम से जाँच रिपोर्ट नमूना के 630 दिनांक 14-12-15 की दो प्रतियाँ एफ० एस० ओ० को भेजना बताया है जबकि उक्त रिपोर्ट लैब द्वारा दिनांक 14-12-15 को जारी की गई है जो दिनांक 18-1-16 को श्री गंगानगर प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण एफ एस ओ द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए रंजिशवश दर्ज करवाया गया है। उसके संस्थान में कोई जाँच नहीं की गई है तथाकथित जाँच के समय मौका पर वह उपस्थित था। किसी भी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। सारी कार्यवाही एफ एस ओ द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Lavo

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
दिनांक

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जाँच रिपोर्ट क्रमांक एल.एस. /3690/एक्ट/2015/2093 दिनांक 14-12-15 में " मावा का सैम्पल सं० के-630 लेने का विवरण दर्ज है। लिया गया सैम्पल के-630 शील्ड और इन्टेक्ट अवस्था में था। फिजिकल एपीरेन्स में क्रिमिश कल्ड सोलिड मैटेरियल था। फार्म सं० 5ए में फूड बिजनैस ऑपरेटर दीपक के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। फर्द रिपोर्ट पर भी दीपक के हस्ताक्षर करवाये गये हैं क्योंकि मौके पर बिजनैस को ऑपरेट वही कर रहा होगा। फर्द रिपोर्ट में भी मावा अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया सैम्पल मावा का के-630 है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk fat content of the finished product [on dry weight basis] की 30 % से कम नहीं होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार 20-04 % पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है। जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 2000-00 (अखरे रूपये दो हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

6/8/16
(करतारसिंह पूनियाँ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)